



संख्या : 3452/जी0एस0(शिक्षा)/A15-37/2019

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया ,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 17 जून, 2025

महोदय,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक संख्या-230926101636 के माध्यम से इस सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
राजकीय नर्सिंग कॉलेज, सुरसिंहधार, नई टिहरी	बी0एससी0 नर्सिंग	40	2022-23 एवं 2023-24

(1) शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु नियामक संस्था की संस्तुति संलग्न नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि संस्थान से उक्त अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त करे, तदनुसार इस सचिवालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(2) महाविद्यालय में फ़ैकल्टी के मानक अपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत शीघ्रातिशीघ्र मानकानुसार महाविद्यालय में फ़ैकल्टी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(3) अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के

अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय को होगा।

(4) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबंधों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(5) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria

Date: 16-06-2025 11:27:48 (स्वाति एस० भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : (1)/जी०एस० (शिक्षा)/A15-37/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के अनुसचिव।